तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/6262/2006/टोंक** **राजस्थान सरकार बनाम मोती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्रीमती अर्चना गौत्तम, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 11.12.2025

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 29.06.2006 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, निवाई ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण के पिता सुखदेवा पुत्र श्योचन्दा को ग्राम डॉगरथल के आराजी खसरा संख्या 2035 में 2 बिस्वा भूमि का बाड़ा हेतु नियमन किया गया था। प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में बाड़ा आवंटन/नियमन का अमल नहीं किया जाकर केवल मॉग चोसाला में इस आशय का नोट अंकित किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्षीगण के पिता सुखदेवा की मृत्यु हो जाने पर उक्त भूमि पर नामांतकरण संख्या 1366 दिनांक 01.02.1983 द्वारा विपक्षीगण को गैर खातेदारी दी गई है, जो नियमों के प्रतिकूल है। अतः तहसीलदार निवाई द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में खोला गया गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 1366 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। न्यायालय जिला कलक्टर, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2006 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है ।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/6262/2006/टोंक</u>** **राजस्थान सरकार बनाम मोती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस में रेफरेंस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा बाड़ा आवंटन/नियमन की भूमि पर दिए गए गैर खातेदारी को अवैधानिक बताते हुए नामांतकरण संख्या 1366 को निरस्त करते हुए रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण के पिता सुखदेवा पुत्र श्योचन्दा जाति ब्रा0 निवासी डॉगरथंल को ग्राम डॉगरथंल के खसरा संख्या 2035 रकबा 2 बिस्वा भूमि का बाड़ा प्रयोजनार्थ तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 27.10.1977 को नियमन किया गया है। सुखदेवा पुत्र श्योचन्दा की मृत्यु हो जाने के उपरांत सुखदेवा को नियमन की गई भूमि पर दिनांक 01.02.83 को तहसीलदार निवाई द्वारा विपक्षीगण के हक में गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 1366 स्वीकृत कर दिया गया, जबकि बाड़ा प्रयोजनार्थ आवंटित/नियमन की गई भूमि पर किसी प्रकार का टाईटल आवंटी को प्राप्त नहीं हो सकता। आंवटित भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज नहीं हो सकती है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के अंतर्गत खातेदारी में दर्ज योग्य नहीं थी। उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जबकि राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के अनुसार ऐसी भूमि पर विपक्षीगण के हक में गैर खातेदारी का नामांतकरण स्वीकार किया जाना अथवा खातेदारी अधिकार प्रदान करना प्रतिबंधित है। ऐसी भूमि पर अप्रार्थीगण को कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया गया नामांतकरण संख्या 1366 दिनांक 01.02.1983 निरस्त किये जाने योग्य है । फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम डॉगरथंल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/6262/2006/टोंक** **राजस्थान सरकार बनाम मोती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में स्थित आराजी खसरा संख्या 2035 रकबा 2 बिस्वा भूमि बाबत् स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1366 दिनांक 01.02.1983 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	